



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/कनि.अभि./एपीओ/अ.श./17/ 4321

जयपुर दिनांक- 16.11.17

-: आदेश :-

श्री अशोक कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, करौली (करौली) को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर देवें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
3. जिला कलैक्टर, करौली ।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली (करौली) ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री अशोक कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, करौली जिला करौली ।
8. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव